All

# राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :– प. 14/98/रामले/ई–ग्रास/ दिनांकः– –09–2019

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः– राजकोष में जमा चालानों के शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन, डीफेस करने एवं दि0 1.10.19 से हस्तांतरण प्रविष्टी ऑनलाईन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मण्डल स्तर से पूर्व में जारी अनेक पत्रों के क्रम में पुनः निवेदन है किः–

1– जिस कार्यालय के नाम से ई–ग्रास में चालान जमा हुए हैं, यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड की सहायता से संबंधित कार्यालय उक्त चालान का भौतिक सत्यापन कर सकता हैं। अतः समस्त जिला कलक्टर/ उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार यह सुनिश्चित करेगें कि उनके कार्यालय के नाम से जमा चालानों का सत्यापन होने के पश्चात् ही भूमि रूपांतरण प्रकरण, सीमाज्ञान, भूमि कीमत, लीजरेंट, मोबाईल टॉवर नियमितिकरण तथा अन्य प्रकरणों की पत्रावलियों में अग्रिम कार्यवाही हो। उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार मण्डल नियंत्रित समस्त मदों की चालानवार सूची बाद सत्यापन जिला कलक्टर को प्रेषित करेगें तथा बैंक में जमा लेकिन ई–ग्रास मे प्रदर्शित नहीं चालानों की राशि जमाकर्ता कार्यालय अति0 निदेशक आई.एफ.एम.एस. जयपुर के पत्र दि0 8.6.18 के निर्देशानुसार संबंधित बैंक शाखा से ब्याज सहित वसूल कर पुनः राजकोष में जमा करायेगें। साथ ही ऐसे चालानों की सूची मय चालान प्रति तथा बैंक द्वारा जमा पुष्टि सहित आवश्यक रूप से जिला कलक्टर को प्रेषित करेगें। इस संबंध में मण्डल के पत्रांक 5719–52 दि0 3.6.19 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

2– दि0 1.10.19 से अंक मिलान पश्चात् आवश्यक होने पर हस्तांतरण प्रविष्टी की ऑनलाईन व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत जमाकर्ता कार्यालय को ही http://rajors.raj.nic.in पर लागिन कर हस्तांतरण प्रविष्टी अग्रेषित करनी होगी। यदि जमाकर्ता कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में ऑनलाईन हस्तांतरण प्रविष्टी अग्रेषित नहीं की जाती हैं तो समस्त जमा राशि को उचित मद में जमा मानकर मण्डल स्तर से ऑनलाईन अंकमिलान प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा तथा इसके पश्चात् गलत मद में राशि जमा की समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की होगी। इस संबंध में मण्डल के पत्रांक 7691–7724 दि0 2.8.19 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

All

3– दि0 1.8.17 से समस्त चालान ई–ग्रास पर दर्ज होने के कारण उनका जमाकर्ता कार्यालय द्वारा सेवा प्रदान करने के पश्चात् डीफेस करना अति आवश्यक हैं। दि0 29.8.19 को अतिरिक्त निदेशक, कोष व लेखा ने राजस्व विभाग में चालानों के डीफेस न करने पर असंतोष जाहिर किया हैं। सेवाएँ देने के बावजूद चालान डीफेस नहीं किए जाने से उसके पुनः उपयोग अथवा सेवा लेने के बाद भी रिफण्ड की संभावना बनी रहती हैं। अतः मण्डल के पूर्व पत्रांक 5801–34 दि0 31.8.18 द्वारा आपको प्रेषित वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के पत्र दि0 25.7.18 की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावें।

4– दि0 29.8.19 को आयोजित बैठक में अतिरिक्त निदेशक, कोष व लेखा ने निर्देश दिए हैं कि 1.8.17 के पश्चात् एसबीआई बैंक की जिन शाखाओं ने चालानों को ई–ग्रास मे दर्ज करने में कोताही बरती हैं। उन शाखाओं के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक अथवा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया की शाखाओं में चालान जमा को प्रोत्साहन दिया जावे।

5– जिला कलक्टर कार्यालय में पदस्थापित सहायक राजस्व लेखाधिकारी I/II अधीनस्थ कार्यालयों में उपरोक्त बिन्दुओं की पालना की सुनिश्चितता करेगें तथा निर्देशों की पालना न होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष एवं जिला कलक्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगें।

पत्र के बिन्दु सं0 1 से 5 तक अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित करते हुए इस पत्र की प्रति अधीनस्थ समस्त उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/ उप तहसीलदार को प्रेषित करने का कष्ट करावें।

भवदीय,

sd
(विनीता श्रीवास्तव)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

कमांक/सम/ 10174-10214 दिनांकः– 19-9-19

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– अतिरिक्त निदेशक, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर
2– ई कोषाधिकारी वित्त भवन, जयपुर
3– सहायक राजस्व लेखाधिकारी I/II, समस्त , राजस्व मण्डल अजमेर तथा
4– सहायक राजस्व लेखाधिकारी, आंतरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय जिला कलक्ट्रेट––––––––––को प्रेषित कर लेख हैं कि जिला कलक्टर कार्यालय/ उपखण्ड कार्यालय/ तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान बिन्दु सं0 1 से 5 की पालना सुनिश्चित करेगें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में भी इसका उल्लेख आवश्यक रूप से करेगे।
5– संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग,राजस्व मण्डल अजमेर को पत्र मण्डल की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित हैं।

अति0निबन्धक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर